क्रम संख्या–167

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 09 अक्टूबर, 2014 ई0

आश्विन 17, 1936 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 246/XXXVI(3)/2014/05(1)/2011

देहरादून, 09 अक्टूबर, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"भारतीय रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2011"** पर दिनांक 09 सितम्बर, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 24 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2011
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24 वर्ष 2014)

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन करने के लिये–

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह ऐसे दिनाँक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

धारा 2 में संशोधन

2. भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (जिसे यहाँ मूल अधिनियम कहा गया है), में –

(क) धारा 2 का खण्ड (2) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्–

"**(2)** "पुस्तक" के अन्तर्गत पुस्तक का प्रभाग आता है और किसी भी संख्या में ऐसे पन्ने भी आते हैं, जो इस दृष्टि से एक साथ संसक्त हो, की उनसे पुस्तक या पुस्तक का प्रभाग बनाया जाय और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी पुस्तक भी आती है, जो इलैक्ट्रॉनिक रूप में हो;"

(ख) खण्ड (10) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे; अर्थातः–

"**(10–क)** "सत्य प्रति" में फोटो स्टेट सत्य प्रति सम्मिलित है;"

"**(10–ख)** उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु सूचना तकनीकी अधिनियम, 2000 में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं।"

धारा 3 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:–

"(3) अपने शासनाधीन क्षेत्र के लिए राज्य सरकार एक या अधिक रजिस्ट्रीकरण अपर महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण उप–महानिरीक्षक और रजिस्ट्रीकरण सहायक महानिरीक्षक नियुक्त कर सकती है और उनके कर्तव्यों को विहित कर सकती है तथा उनको महानिरीक्षक के किन्हीं या सभी शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उन्हें अधिकृत कर सकती है।"

धारा 8 का निरसन

4. मूल अधिनियम की धारा 8 निरसित कर दी जायेगी।

धारा 12 में संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 12 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:–

"12. जब कोई उप–रजिस्ट्रार अनुपस्थित हो या जब उसका पद अस्थायी रूप से रिक्त हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक इस प्रयोजन से, नियुक्त करे, ऐसी अनुपस्थिति के दौरान या जब तक रिक्त भर न दी जाये, उप–रजिस्ट्रार होगा।"

धारा 21 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्:–

"(1) स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई भी निर्वसीयती दस्तावेज, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिगृहीत न की जाएगी, जब तक कि–

(क) उसमें ऐसी सम्पत्ति की पहचान के लिए पर्याप्त ऐसी सम्पत्ति का वर्णन अन्तर्विष्ट न हो; और

(ख) जहाँ सम्पत्ति कृषि भूमि हो, वहाँ उसके साथ मानचित्र या रेखांकन भी संलग्न हो, यह आवश्यक नहीं कि वह पैमाने पर हो, उसमें उस कृषि भूमि की दो सौ मीटर की त्रिज्या में स्थित समस्त सम्पत्तियाँ पूर्ण विवरण के साथ दर्शायी गई हों।"

धारा 32–क में संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 32–क में –

(1) उपधारा (1) में–

(एक) शब्द "ऐसे क्षेत्रों में, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाएं", निकाल दिये जायेंगे;

(दो) शब्द "फोटोस्टेट", शीर्षक सहित, जहाँ कहीं भी आए हों, निकाल दिये जायेंगे;

(2) उपधारा (2) में–

(एक) शब्द "फोटोस्टेट प्रति" के स्थान पर शब्द "सही प्रति" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"**(ख)** सही प्रति का मिलान और सत्यापन ऐसे पदधारी द्वारा किया जाएगा, जैसा रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा निर्देश दिया जायं।"

(3) उपधारा (3) निरसित कर दी जायेगी।

धारा 32–ख का निरसन

8. मूल अधिनियम की धारा 32–ख निरसित कर दी जायेगी।

धारा 51 का संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (2), (3) तथा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्:–

"(2) पुस्तक 1 में धारा 17, 18 और 89 के अधीन रजिस्ट्रीकृत, वे सब दस्तावेज या ज्ञापन को, जो स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित है और विल नहीं हैं, सही प्रतियाँ फाइल की जायेंगी;

परन्तु यह कि जहाँ पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोरेज डिवाइस हो वहाँ, उपर्युक्त धाराओं के अधीन रजिस्ट्रीकृत, यथास्थिति, विलों से भिन्न सभी दस्तावेज, या उनकी सही प्रतियाँ या ज्ञापनों को उसमें स्कैन किया जाएगा और उसकी एक मुद्रित प्रति को पुस्तक 1 में स्थायी रूप से रखा जाएगा;

(3) पुस्तक 4 में, धारा 18 के खण्ड (घ) और (च) के अधीन रजिस्ट्रीकृत उन सभी दस्तावेजों की सही प्रतियाँ फाइल की जायेंगी, जो स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित नहीं हैं;

परन्तु यह कि जहाँ पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, वहाँ उपर्युक्त खण्डों के अधीन रजिस्ट्रीकृत, यथास्थिति, सभी दस्तावेज या उनकी सही प्रतियों को, उसमें स्कैन किया जायेगा और उसकी एक मुद्रित प्रति को पुस्तक 4 में स्थायी रूप से रखा जायेगा।

(5) जहाँ अग्नि, झंझा, बाढ़, अतिवृष्टि, सेना या भीड़ के या अन्य अप्रतिरोधित बल–कृत हिंसा के कारण या अन्य किसी कारण से उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई या सभी पुस्तकें नष्ट हो जाये, पूर्णतः या अंशतः अपठनीय हो जाये और राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह, आदेश द्वारा निर्देश दे

सकेगी कि ऐसी पुस्तक या उसके ऐसे प्रभाग को, जिसे वह उचित समझे, ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाये, पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाये, उसे अभि–प्रमाणित या पुनः सनिर्मित किया जाये और इस प्रकार तैयार की गई अधिप्रमाणित या पुनःसनिर्मित प्रतिलिपि को इस अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रयोजनों के लिये मूल पुस्तक या प्रभाग या स्थानापत्र और स्वयं ऐसी मूल पुस्तक या प्रमाण समझा जायेगा।"

धारा 52 में संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा 52 में–

(1) उपधारा (1) में –

(एक) खण्ड (क) में शब्द "ऐसी हर दस्तावेज पर उसके उपस्थापित किये जाने के समय" के स्थान पर शब्द "ऐसी हर दस्तावेज और उसकी सही प्रति पर उसके उपस्थापित किये जाने के समय" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थातः–

"**(ख)** ऐसी दस्तावेज के लिए रसीद, रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर उसे उपस्थापित करने वाले व्यक्ति को देगा।"

(2) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी।

धारा 53 में परन्तुक का अन्तःस्थापन

11. मूल अधिनियम की धारा 53 में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह कि जहाँ पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, वहाँ उस पुस्तक और हस्त्य अनुरक्षित पुस्तक की सभी प्रविष्टियाँ और संख्याएं एक समान होंगी।"

धारा 54 में संशोधन

12. मूल अधिनियम की धारा 54 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्:–

"**54.** हर कार्यालय में, जिसमें एतस्मिनपूर्व वर्णित पुस्तकों में से कोई भी रखी जाती है, ऐसी पुस्तकों की अन्तर्वस्तुओं की चालू अनुक्रमणिका तैयार की जायेगी और ऐसी अनुक्रमणिकाओं में हर प्रविष्टि यावत्साध्य रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर के उस दस्तावेज की, जिससे वह प्रविष्टि सम्बन्धित है, स्कैन कर लेने या सही प्रति या ज्ञापन फाइल कर लेने के अव्यवहित पश्चात् की जायेगी।"

धारा 55 में अन्तःस्थापन

13. मूल अधिनियम की धारा 55 में, उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:–

"(7) जहाँ पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, वहाँ इस धारा के अधीन बनाई गई अनुक्रमणिकाऐं भी धारा 69 के अधीन नियमों द्वारा विहित रीति से इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर की जाएंगी।"

धारा 57 में संशोधन

14. मूल अधिनियम की धारा 57 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्:–

"(1) इस निमित्त संदेय फीसों का पूर्व संदाय किये जाने की शर्त के अध्यधीन रहते हुए पुस्तक संख्यांक 1 और 2 और पुस्तक संख्यांक 1 से सम्बन्धित अनुक्रमणिकाऐं, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में न हों, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा सब समयों पर निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी, जो उनका निरीक्षण करने के लिए आवेदन करें और धारा 62 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए ऐसी पुस्तकों में की प्रविष्टियों की प्रतियाँ, ऐसी प्रतियों के लिए आवेदन करने वाले सब व्यक्तियों को दी जायेंगी।"

धारा 58 में संशोधन

15. मूल अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्:–

"(1) रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत हर दस्तावेज और उसकी सही प्रति पर, जो डिक्री या आदेश की प्रति से भिन्न है या रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर को धारा 89 के अधीन भेजी गयी प्रति न हो, निम्नलिखित विशिष्टियाँ समय–समय पर पृष्ठांकित की जायेगी; अर्थात–

(क) दस्तावेज के निष्पादन को स्वीकृत करने वाले हर व्यक्ति के हस्ताक्षर और अभिवर्णन और यदि ऐसा निष्पादन किसी व्यक्ति के प्रतिनिधि, समनुदेशिती या अभिकर्ता द्वारा स्वीकृत किया गया है तो ऐसे प्रतिनिधि, समनुदेशिती या अभिकर्ता के हस्ताक्षर और अभिवर्णन;

(ख) ऐसी दस्तावेज के प्रति निर्देश से इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध के अधीन परीक्षित हर व्यक्ति के हस्ताक्षर और अभिवर्णन; तथा

(ग) दस्तावेज के निष्पादन के प्रति निर्देश से रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर की उपस्थिति में दिए गए धन का कोई भी संदाय या वस्तुओं का कोई भी परिदान और ऐसे निष्पादन के प्रति निर्देश से उसकी उपस्थिति में सम्पूर्ण प्रतिफल या उसके भाग की प्राप्ति की कोई स्वीकृति।"

धारा 60 में संशोधन

16. मूल अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्:–

"(1) धारा 34, 35, 58 और 59 के उपबन्धों में से उन उपबन्धों का, जो रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित की गयी किसी दस्तावेज को लागू है, अनुपालन हो जाने के पश्चात् रजिस्ट्र रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर ऐसा प्रमाण–पत्र, जिसमें रजिस्ट्रीकृत शब्द अन्तर्विष्ट हो, उस उपयुक्त पुस्तक के संख्यांक और पृष्ठ के सन्दर्भ के साथ, जिसमें उस दस्तावेज या उसकी सही प्रति को स्कैन किया जाना या रखा जाना है, उस पर और उसकी सही प्रतियों पर पृष्ठांकित करेगा।"

धारा 61 में संशोधन

17. मूल अधिनियम की धारा 61 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात्:–

"**61. (1)** धारा 52, 58, 59 और 60 के उपबन्धों के अनुपालन के पश्चात् धारा 62 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा 21 में उल्लिखित मानचित्र या रेखांक, यदि कोई हो, के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत प्रत्येक दस्तावेज का बिना अनावश्यक विलम्ब के स्कैन किया जायेगा और उसके प्रिंट–आऊट को रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज के लिए उपयुक्त पुस्तक में, उसके प्रतिगृहण के क्रम के अनुसार स्थायी रूप से रखा जायेगा;

परन्तु यह कि जहाँ पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में न हो या दस्तावेज का उसी दिन स्कैन किया जाना सम्भव न हो, वहाँ धारा 21 में उल्लिखित, मानचित्र या रेखांक, यदि कोई हो, के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज की सही प्रति को शीघ्रतम अवसर पर स्कैन किये जाने के लिए उपर्युक्त रीति में दस्तावेज के लिए उपयुक्त पुस्तक में रखा जायेगा और उसके प्रिंट–आऊट से उसे स्थायी रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा;

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ के पूर्व फाइल की गई सही प्रति, जो उसके लिए उपयुक्त पुस्तक में नकल नहीं की गई है, को धारा 32–क के अधीन प्रस्तुत सही प्रति समझा जायेगा और उसे इस धारा के उपबन्धों के अनुसार व्यवहृत किया जायेगा;

परन्तु यह और भी कि यदि रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ के पूर्व फाइल की गई सही प्रति अस्पष्ट या अन्यथा अपठनीय हो और उसके लिए उपयुक्त पुस्तक में नकल न की गई हो

धारा 60 में संशोधन

16. मूल अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्:–

"(1) धारा 34, 35, 58 और 59 के उपबन्धों में से उन उपबन्धों का, जो रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित की गयी किसी दस्तावेज को लागू है, अनुपालन हो जाने के पश्चात् रजिस्ट्र रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर ऐसा प्रमाण–पत्र, जिसमें रजिस्ट्रीकृत शब्द अन्तर्विष्ट हो, उस उपयुक्त पुस्तक के संख्यांक और पृष्ठ के सन्दर्भ के साथ, जिसमें उस दस्तावेज या उसकी सही प्रति को स्कैन किया जाना या रखा जाना है, उस पर और उसकी सही प्रतियों पर पृष्ठांकित करेगा।"

धारा 61 में संशोधन

17. मूल अधिनियम की धारा 61 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात्:–

"**61.** (1) धारा 52, 58, 59 और 60 के उपबन्धों के अनुपालन के पश्चात् धारा 62 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा 21 में उल्लिखित मानचित्र या रेखांक, यदि कोई हो, के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत प्रत्येक दस्तावेज का बिना अनावश्यक विलम्ब के स्कैन किया जायेगा और उसके प्रिंट–आऊट को रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज के लिए उपयुक्त पुस्तक में, उसके प्रतिगृहण के क्रम के अनुसार स्थायी रूप से रखा जायेगा;

परन्तु यह कि जहाँ पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में न हो या दस्तावेज का उसी दिन स्कैन किया जाना सम्भव न हो, वहाँ धारा 21 में उल्लिखित, मानचित्र या रेखांक, यदि कोई हो, के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज की सही प्रति को शीघ्रतम अवसर पर स्कैन किये जाने के लिए उपर्युक्त रीति में दस्तावेज के लिए उपयुक्त पुस्तक में रखा जायेगा और उसके प्रिंट–आऊट से उसे स्थायी रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा;

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ के पूर्व फाइल की गई सही प्रति, जो उसके लिए उपयुक्त पुस्तक में नकल नहीं की गई है, को धारा 32–क के अधीन प्रस्तुत सही प्रति समझा जायेगा और उसे इस धारा के उपबन्धों के अनुसार व्यवहृत किया जायेगा;

परन्तु यह और भी कि यदि रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ के पूर्व फाइल की गई सही प्रति अस्पष्ट या अन्यथा अपठनीय हो और उसके लिए उपयुक्त पुस्तक में नकल न की गई हो

तो रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर, रजिस्ट्रार के पूर्वानुमोदन से, सम्बन्धित पक्ष से यह अपेक्षा करेगा कि वह इस धारा के प्रयोजनों के लिए उसकी सही प्रति तैयार कराने के लिए दस्तावेज उसे दे दें और यदि सम्बन्धित पक्ष उसको यह सूचित करता है कि दस्तावेज खो गया है या नष्ट हो गया है तो रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में उपलब्ध सही प्रति को, इस धारा के उपबन्धों के अनुसार व्यवहृत किया जायेगा।

(2) दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण, इसके पश्चात्, पूर्ण हुआ माना जायेगा और दस्तावेज उस व्यक्ति को, जिसने उसे रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया था, या ऐसे अन्य व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसे उसने लिखित रूप में इस निमित्त नामित किया हो, धारा 52 में उल्लिखित रसीद प्राप्त करके लौटा दिया जायेगा।

(3) ऐसी सभी पुस्तकों को ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति से जैसा कि समय–समय पर महानिरीक्षक द्वारा विहित किया जाये, अधिप्रमाणीकृत किया जायेगा।"

धारा 62 में प्रतिस्थापन

18. मूल अधिनियम की धारा 62 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्:–

"62. जब कोई दस्तावेज धारा 19 के अधीन प्रस्तुत किया जाता है तो मूल दस्तावेज को धारा 52, 58, 59, 60 और 61 के उपबन्धों के अनुसार व्यवहृत किया जाएगा, और उसके अनुवाद को भी मूल दस्तावेज के साथ–साथ स्कैन किया जायेगा और उसके प्रिंट–आऊट को मूल दस्तावेज के प्रिंट–आऊट के साथ रखा जाएगा और यदि पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में नहीं है या स्कैन उसी दिन किया जाना सम्भव नहीं है, तो धारा 61 की उपधारा (1) के अनुसार अनुवाद की सही प्रति को दस्तावेज की सही प्रति के साथ रखा जायेगा और धारा 57, 64, 65 और 66 द्वारा अपेक्षित प्रतियाँ और ज्ञापन बनाने के प्रयोजनों के लिए उसे मूल प्रति माना जायेगा।"

धारा 64 में संशोधन

19. मूल अधिनियम की धारा 64 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्:–

"64. हर उपरजिस्ट्रार ऐसी स्थावर सम्पत्ति से, जो पूर्णतः उसके अपने उपजिले में स्थित नहीं है, सम्बन्धित निर्वसीयती दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण पर उसका और उस पर के पृष्ठांकन और प्रमाणपत्र का

(यदि कोई हो) ज्ञापन तैयार करेगा और जिस रजिस्ट्रार के वह स्वयं अधीनस्थ है, उसके अधीनस्थ हर अन्य उस उपरजिस्ट्रार को भेजेगा, जिसके उपजिले में ऐसी सम्पत्ति का कोई भाग स्थित है और ऐसा उपरजिस्ट्रार ऐसे ज्ञापन पर वैसी ही कार्यवाही करेगा, जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है।"

धारा 65 में संशोधन

20. मूल अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्:–

"**(2)** रजिस्ट्रार उसकी प्राप्ति पर ऐसे दस्तावेज की प्रति और मानचित्र या रेखांक, यदि कोई हो, की प्रति पर वैसी ही कार्यवाही करेगा, जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है और दस्तावेज का ज्ञापन अपने अधीनस्थ उन उपरजिस्ट्रारों में से हर एक को अग्रेषित करेगा, जिसके उपजिलों में ऐसी सम्पत्ति का कोई भी भाग स्थित है और हर उपरजिस्ट्रार, जिसे ऐसा ज्ञापन प्राप्त हुआ है, उसे उस पर वैसी की कार्यवाही करेगा, जैसी कि रजिस्ट्रार द्वारा इस धारा के अधीन की जाती है।"

धारा 66 में संशोधन

21. मूल अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (3) तथा उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराऐं प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्:–

"**(3)** ऐसा रजिस्ट्रार, ऐसी कोई भी प्रति प्राप्त होने पर, उस पर वैसी ही कार्यवाही करेगा, जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है और प्रति का ज्ञापन भी अपने अधीनस्थ उन उपरजिस्ट्रारों में से हर एक को भेजेगा, जिनके उपजिले में सम्पत्ति का कोई भी भाग स्थित है।"

"**(4)** ऐसा हर उपरजिस्ट्रार, जिसे इस धारा के अधीन कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, उस पर वैसी की कार्यवाही करेगा, जैसी कि रजिस्ट्रार द्वारा इस धारा के अधीन प्राप्त प्रति पर की जाती है।"

धारा 69 का अन्तःस्थापन

22. **(1)** मूल अधिनियम की धारा 69 में, खण्ड (जज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिये जाएंगे; अर्थात्:–

"**(जज–1)** संख्या और रीति, जिसमें दस्तावेजों कें और अनुवाद की प्रिंट–आऊट या सही प्रतियाँ तैयार की जाएंगी और पुस्तकें, जिनमें उन्हें अभिलेख के लिए रखा जाएगा, को विनियमित करने वाले;

(जज–2) घोषणा के प्रपत्र और सही प्रतियों के मिलान और सत्यापन की रीति को विनियमित करने वाले;

(जज–3) रीति, जिसमें और रक्षोपीय, जिसके अधीन रहते हुए पुस्तकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाएगा, को विनियमित करने वाले।"

(2) मूल अधिनियम की धारा 69 के पश्चात् निम्नलिखित एक नई धारा अन्तःस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात्:–

"69–क इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, जनसाधारण के मार्गदर्शन के लिए विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों के मानक के प्ररूपों को तैयार करेगा और उन्हें परिचालित करेगा, जिनका संशोधन के साथ या बिना संशोधन के प्रयोग किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण:–इस धारा के अधीन तैयार और परिचालित किये गए मानक प्ररूप का प्रयोग, धारा 21 और 22 के अधीन अपेक्षित सम्पत्ति के विवरणों को छोड़े जाने का आधार नहीं होगा।"

धारा 78–ख का अन्तःस्थापन

23. मूल अधिनियम की धारा 78–क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात्:–

"78–ख–(1) किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस आसंजक लेबलों के रूप में प्रभारित की जा सकेगी, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, उन व्यक्तियों, जिनके द्वारा ऐसा विक्रय अकेले किया जाना है, को उसकी आपूर्ति और विक्रय, और ऐसे व्यक्तियों के कर्तव्य और पारिश्रमिक और उनके प्रभार्य फीस को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) जिला रजिस्ट्रार, किसी व्यक्ति के आवेदन पर किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए खरीदे गये खराब, गलती से प्रयोग किये गये या अप्रयुत आसंजक लेबलों के लिए, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार छूट दे सकेगा।"

धारा 89 में संशोधन

24. मूल अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (1), (2), (3) और (4) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:–

"(1) भूमि अभिवृद्धि उधार अधिनियम, 1883 (1883 का 19) के अधीन उधार अनुदत्त करने वाला हर ऑफिसर अपने आदेश की प्रति उस रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर को भेजेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर अभिवृद्धि की जाने वाली पूरी भूमि या उसका कोई

भाग या सांपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में अनुदत्त की जाने वाली भूमि स्थित है और ऐसा रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर उस पर वैसी ही कार्यवाही करेगा, जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है।

(2) सिविल प्रकिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन स्थावर सम्पत्ति के विकय का प्रमाणपत्र अनुदत्त करने वाला हर न्यायालय ऐसे प्रमाण पत्र की प्रति उस रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर को भेजेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर ऐसे प्रमाणपत्र में समाविष्ट पूरी स्थावर सम्पत्ति या उसका कोई भाग स्थित है और ऐसा ऑफिसर उस प्रति पर वैसी ही कार्यवाही करेगा, जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है।

(3) कृषक उधार अधिनियम, 1884 (1884 का 12) के अधीन उधार अनुदत्त करने वाला हर ऑफिसर किसी भी ऐसी लिखत की प्रति, जिसके द्वारा स्थावर सम्पत्ति उधार के प्रति संदाय की प्रतिभूति करने के लिए बंधक की गई है और ऐसी कोई सम्पत्ति उधार अनुदत्त करने वाले आदेश में उसी प्रयोजन के लिए बन्धक की गई है तो उस आदेश की प्रति भी उस रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर को भेजेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर वह पूरी सम्पत्ति, जिसका बन्धक किया गया है या उसका कोई भाग स्थित है और ऐसा रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर, उस पर वैसी ही कार्यवाही करेगा, जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है।

(4) लोक नीलाम द्वारा बेची गई स्थावर सम्पत्ति के केता को विकय प्रमाणपत्र अनुदत्त करने वाला हर राजस्व ऑफिसर प्रमाण पत्र की प्रति उस रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर को भेजेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर प्रमाण पत्र में समाविष्ट पूरी सम्पत्ति या उसका कोई भाग स्थित है और ऐसा ऑफिसर उस प्रति पर वैसी ही कार्यवाही करेगा, जैसी कि धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए गृहीत दस्तावेज पर की जाती है।''

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।